**Seventeenth Loksabha**

an>

Grant of financial assistance to families of migrant labourers who die at workplace

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बिहार के प्रवासी मजदूरों की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। देश के अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में बिहार से मजदूरों के पलायन का एक लम्बा इतिहास रहा है। हालाँकि बिहार से जाने वाले अधिकांश श्रमिक ठेकेदारों के माध्यम से वहां दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं तथा रोजी-रोटी एवं गरीबी के कारण वे असुरक्षित वातावरण में काम करने को विवश होते हैं जहाँ से आये दिनों इन मजदूरों की दुर्घटना में मौत की खबरें हम लोगों के सामने आती रहती हैं। उस समय सम्बंधित कंपनी, एजेंसी या ठेकेदार द्वारा मुआवजे के नाम पर 25-50 हजार रूपये देकर मामले की खानापूर्ति कर दी जाती है। परन्तु, उस समय न तो वहां की राज्य सरकारों द्वारा और न ही काम कराने वाली एजेंसी द्वारा इन प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को किसी तरह की आर्थिक मदद की जाती है। ऐसे में उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि अधिकांश मृतक अपने परिवार का मुखिया होता है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूरों के हित में ऐसा ठोस प्रावधान किया जाये कि मजदूरों की घटनास्थल पर मौत के बाद वहां की राज्य सरकार अथवा संबधित एजेंसी द्वारा उचित अनुदान मिल सके।

HON. CHAIRPERSON: Shri S. Muniswamy – Not Present

Shri Chhedi Paswan